राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर–305001

क्रमांक / कअ / एफ. 31 / न्याय / 2019 / 03 दिनांक– 07 / 01 / 2019

–:: आदेश ::–

(आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता–1973)

यतः मुझे प्रतीत कराया गया कि जिला अजमेर में मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेच लडाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण होने से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को अत्याधिक जानमाल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है। इस समस्या और खतरे के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि **"धातु निर्मित माझा"** (सामान्य प्रचलित भाषा मे "चाईनिज मांझा") के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावें।

अतः लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रवाह को बाधारहित बनाये रखने हेतु मैं निषेधात्मक आदेश करने हेतु सन्तुष्ट हूँ।

मैं, विश्व मोहन शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिये बडे पैमाने पर खतरा बन चुके **"धातु निर्मित मांझा"** (सामान्य प्रचलित भाषा में "चाईनिज माझा") की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग राजस्व जिला अजमेर की क्षेत्राधिकारिता में निषेध / प्रतिबंधित करने का आदेश देता हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय, परिवहन तथा उपयोग करेगा तो उसके विरूद्व यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी। आमजन को यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6.00 से 8.00 बजे तथा सायं 5.00 से 7.00 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

चूँकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है एवं इस आदेश से प्रभावित व्यक्तियों पर नोटिस की तामील सामयिक समय से करवाया जाना संभव नहीं है। अतः इस एक तरफा आदेश का व्यापक तौर पर पुलिस जरिये ध्वनि यंत्र व अन्य माध्यम यथा समाचार पत्र से लोक सूचना हेतु प्रचार–प्रसार किया जावें। उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा। **यह आदेश दिनांक 31 / 1 / 2019 तक प्रभावी रहेगा।**

यह आदेश आज **दिनांक 07 / 01 / 2019** को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, AJMER
सत्यमेव जयते

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा),
जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांक / सम / 401 – 450 दिनांक– 07 / 01 / 2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. श्रीमान् अति0 मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, अजमेर सम्भाग, अजमेर
4. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज अजमेर
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट.................................(राजस्थान)

प्रतिलिपि–निम्न को पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर
3. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर
4. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम / शहर / द्वितीय) अजमेर
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर
6. उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर / ब्यावर / केकड़ी / किशनगढ / नसीराबाद / मसूदा / सरवाड / पीसांगन / रूपनगढ / पुष्कर / टॉडगढ / भिनाय
7. तहसीलदार, अजमेर / ब्यावर / केकड़ी / किशनगढ / नसीराबाद / मसूदा / सरवाड / पीसांगन / रूपनगढ / पुष्कर / टॉडगढ / भिनाय / सावर / टांटोटी / बिजयनगर / अरांई
8. समस्त उप पुलिस अधीक्षक अजमेर –द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर
9. समस्त थानाधिकारी जिला अजमेर –द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर
10. आयुक्त, नगर परिषद– ब्यावर / किशनगढ
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पालिका, पुष्कर, सरवाड़, केकड़ी, बिजयनगर
12. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, छावनी परिषद, नसीराबाद जिला–अजमेर
13. उप निदेशक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार जरिये प्रेस नोट स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण हेतु कराया जावे ।
14. ए.सी.पी., डी.ओ.आई.टी., कलक्ट्रेट, अजमेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. नोटिस बोर्ड कार्यालय कलक्टर / पुलिस अधीक्षक / समस्त उपखण्ड कार्यालय / समस्त तहसील कार्यालय / नगर निगम कार्यालय / न्यास कार्यालय / जिलापरिषद कार्यालय
16. निजी सहायक जिला कलक्टर, अजमेर
17. आदेश पत्रावली

(विश्व मोहन शर्मा),
जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
7/1/19